न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **42/2012** (आवंटन निरस्ती)

श्री फतहसिंह पिता मोहनसिंह चुण्डावत, निवासी वाजमियॉ, तहसील वल्लभनगर

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्रीमती वरदी (पिता गुलाब जी) पत्नि रामा खटीक, निवासी बड़गॉव, तहसील वल्लभनगर
2. श्रीमती कस्तूरी (पिता गुलाब जी) पत्नि डालचन्द खटीक, निवासी गारियावास, मावली, तहसील मावली
3. श्रीमती हगामी (पिता गुलाब जी) पत्नि धुला खटीक, निवासी गूपड़ी, तहसील वल्लभनगर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवन्टन नियम 1970

उपस्थितिः—	1— श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी 2— श्री ललित जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 3— श्री मानाराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 4— मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4

निर्णय

दिनांकः 23.03.18

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुन्डोल तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी संख्या 9 मी. रकबा 4.11 बिघा भूमि दिनांक 24.01.75 को मु. रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक निवासी मुन्डोल को आवंटित की गई जो नामान्तरकरण संख्या 181 से मु. रूपा बाई बेवा गुलाब जी खटीक के नाम गैर खातेदारी की हैसियत से दर्ज की गई। जो आवंटन के नियमो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। आवंटन के पूर्व ना तो कोई मिसल कायम हुई

ना विधिवत फार्म भरा गया। ना अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची बनायी गई ना मौके की कोई जॉच की गई। जिससे कथित आवंटन नियमो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। उक्त आवंटित भूमि खातेदारी भूमि से मिली हुई हैं तथा आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं। व इस समय भी प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी के खातेदारी व आवन्टित भूमि को मिलाते हुए प्रार्थी द्वारा बाउण्ड्रीवाल बना रखी है, व प्रार्थी द्वारा ही इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। आवंटन के बाद रूपीबाई का कब्जा भी नहीं रहा। उनके द्वारा आवंटन नियमो की पालना भी नहीं की गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीस विपक्षी संख्या 1, 2, 3 भी शादी के बाद अपने अपने ससुराल में रह रही हैं। जिनका भी इस भूमि पर कब्जा नहीं हैं। रूपाबाई वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार भी नहीं थी। किया गया आवंटन नियमो के विपरीत था। आवंटन की पत्रावली कायम नहीं होने से नकल भी प्राप्त नहीं हुई। पटवारी हल्का से मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 181 खुलवा स्वीकृत करवा लिया जिसका भी आवंटन निरस्त होने योग्य हैं। अतः आवंटी मु. रूपाबाई के नाम मौजा मुन्डोल तहसील वल्लभनगर की आराजी संख्या 9 मी. रकबा 4.16 बिघा का कथित आवंटन आदेश 22.01.75 निरस्त फरमाया जावें एवं भूमि पुनः बिलानाम दर्ज करायी जाना फरमावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली भी तलब की गई। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी के पुर्वाधिकारी मु. रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक को मौजा मुन्डोल की आराजी संख्या 9मी. रकबा 4 बिघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 22.01.75 को आवंटन हुई थी। परन्तु आवंटित भूमि पर रूपाबाई का कभी भी कब्जा नहीं रहा। उसके द्वारा आवंटन नियमो की पालना नहीं की गई। यह भूमि प्रार्थी के

आधिपत्य में हैं। वर्तमान में यह भूमि मु. रूपाबाई की मृत्यु के बाद उसके वारीसान विपक्षी संख्या 1, 2, 3 के नाम दर्ज है परन्तु विपक्षी संख्या 1,2,3 भी शादी के बाद अपने ससुराल में निवास करते हैं। आवंटन दिनांक को मु. रूपाबाई भूमिहीन काश्तकार नहीं थी। आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं। वर्तमान में भी प्रार्थी का ही कब्जा हैं। अपनी खातेदारी भूमि को मिलाते हुए बाउण्ड्रीवाल बना रखी हैं। पटवारी से मिलीभगत कर सीधे ही नामान्तरकरण संख्या 181 खुलवा दिया गया। जबकि इसकी कोई पत्रावली भी तरमीम नहीं की गई। पर्चा मौका पटवारी हल्का बालाथल का दिनांक 17.07. 12 से भी इस भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होना बताया गया। 1 बिघा भूमि पर किसी का कब्जा नहीं होना बताया है जिस पर मवेशी चरते हैं। 3 बिघा 6 बिस्वा पर प्रार्थी का कब्जा हैं। संलग्न खसरा गिरदावर अनुसार भी संवत् 2034 से आज तक पड़त हैं। जिससे भी स्पष्ट नजर आता है कि आवंटी द्वारा आवंटीत भूमि को काबिल काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आवंटी कभी भी सद्भाविक काश्तकार नहीं रही। आवंटन भी नियमो के विपरीत किया गया। अतः मौके पर कब्जा नहीं होने से एवं आवंटन नियमो की पालना नहीं करने से किया गया आवंटन विपक्षीगणो के पूर्वाधिकारी मु. रूपाबाई बेवा गुलाबजी खटीक का आवंटन निरस्त कर पुनः बिलानाम दर्ज कराने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी 1,2,3 के पुर्वाधिकारी मु. रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक निवासी मुन्डोल को मौजा मुन्डोल की आ.नं. 9मी. में रकबा 4 बिघा 11 बिस्वा का आवंटन दिनांक 22.01. 75 को विधिवत किया गया। आवंटन पश्चात् मौके पर आवंटीत भूमि का कब्जा भी विधिवत दिया गया। आवंटन पत्रावली भी उपखण्ड कार्यालय वल्लभनगर से प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली हैं। जिससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि किया गया अंकन नियमानुसार हुआ हैं। स्वर्गीय रूपाबाई बेवा गुलाब जी खटीक सद्भाविक काश्तकार रही। उसकी मृत्यु पश्चात् विरासत से भूमि हम विपक्षीगण संख्या 1,2,3 के नाम दर्ज हुई। तब से इस भूमि पर हमारा ही कब्जा हैं। भूमि को काबिल काश्त बनाया गया हैं। संवत् 2050 में गेहूँ की

काश्त संलग्न खसरा गिरदावरी में अंकित हैं। 42 वर्ष पश्चात् आवंटन को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं हैं। विपक्षीगण अनुसूचित जाती से आते हैं। जिन्हे आवंटन में भी प्राथमिकता हैं। आवंटन के इतने लम्बे समय के पश्चात् आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र पर सुना जाना भी न्यायोचित नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात न्यायालय का मत है कि आवंटन के 40–42 वर्ष पश्चात् आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया जाना न्यायलय उचित नहीं समझता हैं। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि आवंटन के समय आवंटन पत्रावली का संधारण नहीं किया गया। जबकि आवंटन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से प्राप्त होकर संलग्न है जिसमें आवंटन के पश्चात् आवंटी को कब्जा भी सिपुर्द किया गया हैं। मुल आवंटन आदेश भी संलग्न लगा हुआ हैं। विपक्षी आवंटी अनुसूचित जाती के सदस्य हैं। जिसे आवंटन में भी वरीयता प्राप्त हैं। विपक्षी द्वारा अपने इस कथन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि है कि आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन काश्तकार थी। पटवारी हल्का के पर्चा मौका दिनांक 17.07.12 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है वह विपक्षीगण की अनुपस्थिति में बनाया हुआ हैं। प्रस्तुत खसरे की नकलो में भी संवत् 2050 में भी गेहूॅ 2 बिघा दर्ज हैं।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर एवं तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर